कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)

(एटीसी परिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग–62 श्रीगंगानगर रोड़)
प्रसार शिक्षा निदेशालय,
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांकः एफ /कृविके– लूनकरनसर/2024/69 दिनांक : 10-7-24.

निविदा सूचना

केन्द्र पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षणों के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिय खाना चाय व नाश्ता आपूर्ति हेतु निविदा ।

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर) पर समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिय खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु संबधित फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाये आमंत्रित कि जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु।

1.	निविदा NIB/UBN No.	NIB: SKA2425A0024 UBN No. SKA2425SSOB00028.
2.	निविदा फार्म की दर व प्रकृति	रू. 500/– डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक
3.	निविदा संदर्भ	समय समय पर आयोजित कृषक प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थियों के लिये खाना चाय नाश्ता आपूर्ति हेतु ।
4.	निविदा प्रपत्र संलग्न	निविदा प्रपत्र–क और ख
5.	अनुमानित लागत	रू. 6.00 लाख
6.	निविदा प्राप्त करने का दिनांक व समय	10.07.2024 से 22.07.2024 अपरान्ह 12.00 बजे तक
7.	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम तिथि	22.07.2024 अपरान्ह 01.00 बजे तक
8.	निविदा खोलने की तिथि व समय	22.07.2024 अपरान्ह 02.00 बजे
9.	निविदा खोलने का स्थान	कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर)
10.	कर्य की अनुमानित अवधि	**जुलाई** 2024 **से जून** 2025

निविदा फार्म शुल्क रू 500/– व धरोहर राशि रू0 12000/– का डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर-II (लूनकरनसर) के नाम पर देय होगे। धरोहर राशि फार्म के साथ कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में 22.07.2024 अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्यालय समय में जमा करवायी जा सकती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेवसाइट **www.sppp.rajasthan.gov.in**, **http://bikaner2.kvk2.in/** **एवं** **www.raubikaner.org** पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
Lunkaransar, Bikaner II

कृषि विज्ञान केन्द्र, बीकानेर.II (लूनकरनसर)

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

निविदा फार्म

1- निविदादाता का नाम एवं पूरा पता:-

2- फर्म एकल/भागीदारी:-

3- भागीदारों का नाम:-

4- नाम जो लेन देन करेगा मय
 अधिकार पत्र की प्रति:-

5- बैंक जिसके माध्यम से लेन देन करते है:-

6- धरोहर राशि का विवरण:-

7- दरें नीचे दर्शाई गई तालिका में देनी है।

सामग्री / मात्रा	उपलब्ध राशि (अधिकतम)	निविदादाता द्वारा देय दर
चाय 150 मि.ली.	रू0 10/-	
कॉफी 150 मि.ली	रू0 20/-	
कोल्ड ड्रिंक (150 मि.ली)	रू0 20/-	
नास्ता: ब्रेड पकोड़ा/ आलू कोफ्ता / कचोरी/ समोसा – मात्रा 01 पीस	रू0 20/-	
नास्ता: पोहा – मात्रा 200 ग्राम	रू0 30/-	
नास्ता: मिठाई. 01 पीस, मौसमी फल. 1 पीस, कचोरी/ समोसा मात्रा 01 पीस	रू0 50/-	
खाना (एक समय) चपाती/पूड़ी मौसमी सब्जी/दाल	रू0 100/-	
खाना (एक समय) चपाती/पूड़ी,.दाल मौसमी सब्जी चावल सलाद रायता मिठाई 50 ग्राम, आचार	रू0 150/-	
खाना (एक समय) चपाती दाल मौसमी सब्जी चावल, सलाद रायता हलवा देशी घी में/आइसक्रीम, आचार (आवष्यकतानुसार)	रू0 180/-	
खाना (एक समय) पापड़ चपाती दाल मौसमी सब्जी पनीर सब्जी, पुलाव सलाद, रायता हलवा देशी घी में/आइसक्रीम, आचार (आवष्यकतानुसार)	रू0 250/-	

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

निविदा की शर्तें (ख) :–

1.निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि (वर्ष भर की अनुमानित खर्च राशी रुपये 6.00 लाख का 2 प्रतिशंत) रूपये 12000/—व निविदा प्रपत्र शुल्क 500/—रू0 अग्रिम निविदा प्रपत्र के साथ जमा करानी होगी जो बैकर्स चैक या डी.डी. के माध्यम से ही जमा होगी

2. निविदा फार्म कार्यालय से 500 नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 10-07-2024 प्रात 10.00 से 22. 07.2024 दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

3. मोहर बंद निविदा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, केविके बीकानेर-II (लूनकरनसर) के नाम देय होनी चाहिये।

4. निविदादाता को निविदा प्रपत्र 22-07-2024 दोपहर 1-00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा । तथा निविदाये केविके बीकानेर-II (लूनकरनसर) के कार्यालय में दिनांक 22-07-2024 दोपहर 2.00 बजे खोली जावेगी। यदि किसी कारण वष उस दिन अवकाष रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदाये खोली जावेगी।

5. धरोहर राषी निविदा कार्य की 2 प्रतिषत होगी।

6. इस कार्य की अनुमानित लागत 600000 (नौ लाख पचास हजार रुपये) रुपये है। अत निविदा दाता को धरोहर राशि 12000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो, सलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना फार्म निरस्त कर दिया जायगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निविदा दाता की होगी।

7. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति से 5 दिवस में शेष 3 प्रतिशत धरोहर राशि 18000 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट जो कि कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केंद्र लूनकरनसर के पक्ष में देय हो, जमा करवानी होगी।

8.जिस व्यक्ति/फर्म की दरें अनुमोदित होगी उसकी धरोहर राशि को बतोर अमानत राशि के रूप में कार्यालय में जमा रखी जायेगी जो कार्य अवधि समाप्त होने पर तथा **नो ड्यूज** प्रसतुत करने पर बिना ब्याज के वापस लौटा दी जावेगी।

2ण निविदादाता को निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे:

(क) रुपये 100/- नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा कि निविदादाता /फर्म/ एजेंसी किसी भी रूप में ब्लैक लिस्टेड नहीं है तथा गत वित्तीय वर्षो में किसी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नहीं है।

(ख)निविदादाता /फर्म/ एजेंसी का पैन कार्डए जी इस टी नंबर की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा लाइसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

3. किसी प्रकार की काउण्टर कण्डीशन मान्य नहीं होगी।

4 धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा असफल निविदादाता की धरोहर राशी कार्यालय द्वारा 7 दिवस में चैक द्वारा वापस लौटा दी जावेगी ।

5 निविदा में दी गई दरों में काट छांट नहीं होनी चाहिए। काट छांट होने पर उस पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवष्यक है अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगां ।

6 मैस एवं डायनिंग हॉल की सफाई की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।

7 अनाधिकृत व्यक्ति का किसान घर में प्रवेश वर्जित रहेगा। ।

8 खाना, नाश्ता , चाय व अन्य खाद्य पदार्थो की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

9 मैस की जगह एवं डायनिंग हॉल के फर्नीचर (किसान घर में उपलब्धता के आधार पर) के अलावा कोई सामान देय नहीं होगा।

10 बर्तन, गैस, फ्रीज, क्रोकरी व अन्य आवष्यक सामान की व्यवस्था निविदादाता को अपने स्तर पर करनी होगी।

11 कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमेटी/प्रभारी अधिकारी, समय–समय पर निविदा संबंधी षर्तों एवं खाद्य पदार्थों की गुणवता की जांच कर सकेगें।

12 मैस में स्वस्थ रसोइये ही स्वीकार्य होंगे। मैस में कार्यरत समस्त कर्मचारियों के नैतिक चरित्र की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

13 मैस कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

14 निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा किसान घर एवं केन्द्र की सम्पति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा, नुकसान होने पर भरपाई निविदिदाता को करनी होगी।

15 किसान घर द्वारा प्रदत सामान की टूट–फूट की मरम्मत निविदादाता को करवानी होगी।

16 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा तथा धरोहर राशि जब्त करली जायेगी।

17 समय पूर्व अनुबंध तोड़ने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूचि में डाल दिया जायेगा।

18 निविदादाता द्वारा काम में ली गई समस्त सामग्री की समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

19 विवाद होने पर न्याय क्षेत्र लूनकरनसर न्यायालय होगा।

20 निविदादाता को अपने कर्मचारियों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाना होगा जो प्रभारी अधिकारी या किसान घर के अन्य कर्मचारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा।

21 समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थों के बनाने में उतम क्वालिटी का सामान ही काम में लेना होगा तथा खाना शुद्ध एवं ताजा देना होगा। किसी भी प्रकार की अशुद्धि, विषाक्तता अथवा मिलावट पायी जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

22 ठेका 30 **जून** 2025 तक के लिए मान्य होगा।

23 कार्य करते समय किसी प्रकार के नुकसान एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

24 निविदादाता एवं उनके कर्मचारियों को किसान घर के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

25 प्रभारी अधिकारी, किसान घर द्वारा मैस /रसोई के बारे में जानकारी मांगने पर तुरन्त उपलब्ध करवानी होगी।

26 अनुबंध खत्म होने पर कृषि विज्ञान केन्द्र से **"नो ड्यूज"** लेना होगा।

27 चाय जितने समय बताया जायेगा उतने समय प्रशिक्षणार्थियों को देनी होगी।

28 प्रशिक्षण में शाम के भोजन में जितने प्रशिक्षणार्थी ठहरेंगे उसी संख्या में खाना देना होगा व ठहरने की संख्या का ही भुगतान किया जावेगा।

29 रात्री में ठहरने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या की जानकारी निवदिदाता को प्रशिक्षण दिवस को दोपहर 3.00 बजे दे दी जावेगी।

30 निविदादाता केवल मांगी गई सामग्री के लिए ही अपनी निविदा राशि भरकर देवें। अन्य सामग्री के लिए निविदा प्रस्तुत नहीं करें।

31 दोपहर व शाम की सब्जी व दाल अलग–अलग होगी।

32 खाना व चाय आदि में प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन व कप प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए।

33 खाना आपूर्ति के लिए अधिकृत संस्था द्वारा देय लाईसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी।

34 प्रशिक्षण 1, 2, 3 एवं 5–6 दिवसीय आयोजित किये जा सकते हैं।

35 प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध बजट के अनुसार ही आपको कार्य आदेश दिये जायेगें।

36 किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत /स्थगित /निरस्त करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक ,केविके लूनकरनसर के पास सुरक्षित रहेगा ।

कार्यक्रम समन्वयक

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैने/ हमनें पूर्ण सावधानी पूर्वक उपरोक्त सभी शर्तें अच्छी तरह से पढ ली है तथा स्वीकार्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर